प्रेस नोट
*जनपद – संतकबीरनगर *
दिनाँक 21.02.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।*

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6004 द्वारा दो मोटरसाइकिलों का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6004 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत सेमरडाड़ी से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिल का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (01. विशाल पुत्र भैयाराम निवासी प्रजापतिपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बूलेंस की सहायता इलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता इलाज हेतु अपस्ताल भेजवाया गय, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 विशाल यादव, हो0गा0चा0 नागेन्द्र प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 152 वाहनों से 1,72,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 21.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 152 वाहनों से 1,72,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा 02 लाख 24 हजार 980 रुपये की धनराशि पीड़ितों के खाते में कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के 02 शिकार पीड़ितों को **02 लाख 24 हजार 980 रुपये** की धनराशि उनके खातों में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

01.आवेदक जहिरुल हसन पुत्र छोटे निवासी नेहरु चौक खलीलाबाद संतकबीरनगर के द्वारा दिनांक 19.05.2025 को 1,25,000 रुपया साबीर अली मैसुर (कर्नाटक) के खाते में भेज दिया गया था। साइबर थाना द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का पुरा रुपया 1,25,000 वापस कराया गया।

02.श्री शेर बहदुर सिंह पुत्र माताबादल सिंह निवासी 61 सुगर मील रोड डा0 एस0वी0 सिंह गली मडया उर्फ अचकवा पुर थाना खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर को दिनांक 11-11.2025 को अज्ञात अज्ञात नम्बर से आवेदक के नम्बर पर काल करके अपने आप को परीचित का हवाला दिया गया। अज्ञात ब्यक्ति द्वारा आवेदक को बताया गया कि मै फंस गया हुं मुझे तत्काल 1,50,000 (एक लाख पच्चास हजार) रुपये की तुरन्त आवश्यक्ता है। आवेदक द्वारा तुरन्त 1,50,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया गया। आवेदक के प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 99,980 रुपया वापस कराया गया तथा शेष धन के रिफण्ड की कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी टीम**-** प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना श्री जयप्रकाश चौबे , उ0नि0 श्री रमेश यादव, उ0नि0 श्री जयप्रकाश यादव, हे0का0 मोहम्मद हिन्दे आजाद, हे0का0 राजेश यादव, का0 रामप्रवेश मद्देशिया, कां0 राजकुमार यादव, का0 धीरेन्द्र कुमार प्रसाद, म0का0 अमृता सिंह, म0का0 हिना गौड़, का0 सौरभ यादव।

जनपदीय पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को थाना धनघटा के साइबर सेल द्वारा 50000.00 रूपये की धनराशि वापस कराई गयी

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में *क्रैक साइबर क्राइम अभियान* के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर सेल थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 50,000 हजार रुपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

पीड़ित को अज्ञात साइबर ठगों द्वारा अपने झाँसे मे लेकर दिनांक 23.06.2025 से 05.07.2025 के मध्य कुल ₹ 1,02,500.00 की धोखाधड़ी की गई थी। यह धनराशि फ्राडर द्वारा भिन्न भिन्न खातो मे ट्रांसफर किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

मामले की सूचना साईबर सेल को प्राप्त हुई जिस सूचना पर साईबर सेल थाना धनघटा द्वारा गंभीरता पूर्व लेते हुए पीड़ित का शिकायत साइबर सेल थाना धनघटा द्वारा NCRP PORTAL पर शिकायत दर्ज की गई। थाना धनघटा पर तैनात साइबर कर्मचारीगण आरक्षी इन्द्रजीत प्रजापति एवं महिला आरक्षी शिप्रा शुक्ला द्वारा त्वरित तकनीकी कार्यवाही (Technical Analysis) करते हुए संबंधित पेमेंट गेटवे और बैंकों से पत्राचार किया गया। कुल फ्राड की गयी धनराशि में से NCRP PORTAL द्वारा 98,072.00 रूपये होल्ड करा दिया गया ।

बरामदगी:

पुलिस टीम के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप, धोखाधड़ी की गई कुल राशि में से 50,000.00 रूपये को सफलतापूर्वक पीड़ित के खाते में वापस (रिफंड) करा दिया गया है। शेष धनराशि की बरामदगी हेतु विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस टीम:

1. प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा निरीक्षक श्री दिलीप सिंह 2. साइबर हेल्प डेक्स प्रभारी नि0अ0 श्री रामेश्वर यादव 3. आरक्षी इन्द्रजीत प्रजापति 4. महिला आरक्षी शिप्रा शुक्ला।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील करती है कि:-

•किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर किसी अज्ञात खाते में पैसा ट्रांसफर न करें।

•बैंक अधिकारी बनकर आने वाले संदिग्ध कॉल / मैसेज पर विश्वास न करें।

•किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।

•साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें या नजदीकी थाने के साइबर सेल को सूचित करें।